संख्या-11/2021/362/96-आयुष-1-2021-195/2019

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
यूनानी सेवायें
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ दिनांक 27 जनवरी, 2021**

विषय- राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मेण्डारा, प्रयागराज के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मेण्डारा, प्रयागराज के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य हेतु मूल्यांकित लागत धनराशि रू0-14.57 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-7.285 लाख (रूपया सात लाख अट्ठाइस हजार पांच सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-9/2021/4564/96-आयुष-1-2020-195/2019, दिनांक 14.01.2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 14.01.2021 के प्रतिलिपि संख्या-3 में अंकित ' मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर' के स्थान पर 'मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज' पढा जाय।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

2- शासनादेश संख्या-9/2021/4564/96-आयुष-1-2020-195/2019, दिनांक 14.01.2021 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

लक्ष्मण सिंह
उप सचिव।

संख्या-11/2021/362 (1)/96-आयुष-1-21, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रयागराज।
(6) संबंधित कार्यदायी संस्था (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(7) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in